न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 64/14/ दावा

रूपेन्द्र कुमार उर्फ राकेश पुत्र बसन्त कुमार आयु 26 साल जाति कुमावत नि. वार्ड नं. 16 रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादी/प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी/प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक– 19.05.2014

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 77/765 रकबा 0.03 है0 गै. मु. आबादी वाके ग्राम पुन्याणा प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त भूमि वादी की एकल खातेदारी की भूमि है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज है। वादी के जन्म के पश्चात् बाल्य अवस्था में वादी को घर में प्यार से माता पिता व दादा दादी एवं अन्य परिवारजन द्वारा रूपेन्द्र के नाम से पुकारना शुरू कर दिया तथा बाल्य अवस्था के दौरान ही वादी के पिता ने वादी के नाम से उपरोक्त भूमि को खरीद किया गया था तथा घर में रूपेन्द्र के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रूपेन्द्र कुमार दर्ज करवा दिया गया। तत्पश्चात् वादी के स्कूल में प्रवेश दिलवाते समय स्कूल रिकार्ड में वादी का नाम राकेश दर्ज हो गया जबकि रूपेन्द्र व राकेश दोनों नाम मुझ(वादी) एक ही व्यक्ति के ही है। इस प्रकार वादी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में वादी का नाम राकेश बदस्तूर अंकित चला आ रहा है। वादी के रूपेन्द्र नाम का अन्य कोई भाई नहीं है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रूपेन्द्र कुमार दर्ज है जो कि उक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेज व रिकार्ड में वादी का नाम राकेश दर्ज है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अन्य दस्तावेजों से भिन्न होने के कारण वादी वादी अपनी खातेदारी की भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम राकेश दर्ज करवाने की उद्घोषणा की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम की उद्घोषणा रूपेन्द्र उर्फ राकेश किया जाना प्रार्थनीय है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में

उप... ...री
दांता...गढ

दुरूस्ती की जाकर रूपेन्द कुमार उर्फ राकेश दर्ज किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद का आदेश फरमाया जावें। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी फरमाया जाकर भूमि खसरा नं. 77/765 रकबा 0.03 है. वाके ग्राम पुन्याणा प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खातेदार के रूप में रूपेन्द्र कुमार उर्फ राकेश के नाम की उद्घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर रूपेन्द्र कुमार उर्फ राकेश दर्ज किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद का आदेश दिया जाना प्रार्थनीय है।

2. वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार, दांतारामगढ से तथ्यात्क रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा पत्रांक भूअ/14/1185 दिनांक 13.5.2014 द्वारा प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई।

3. वादी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि बाल्य अवस्था में वादी को घर वाले रूपेन्द्र कुमार के नाम से पुकारते थे एवं वादी के पिता ने वादी के नाम से भूमि ख.नं. 77/765 रकबा 0.03 है० वाके ग्राम पुन्याणा प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ खरीद किये जाने से रूपेन्द्र कुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। वादी को स्कूल में प्रवेश के समय स्कूल रिकार्ड में वादी का नाम राकेश दर्ज करवा दिया जबकि रूपेन्द्र व राकेश दोनों नाम वादी के ही है। वादी के शैक्षणिक रिकार्ड व अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण एवं आधार कार्ड में वादी का नाम राकेश बदस्तूर अंकित चला आ रहा हैं इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम की उद्घोषणा रूपेन्द्र कुमार उर्फ राकेश किया जाना प्रार्थनीय है।

4. हमने वादी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2068–71 ग्राम पुन्याणा प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ के खसरा नं. 77/765 रकबा 0.03 है. की खातेदारी रूपेन्द्रकुमार पुत्र बसन्तकुमार कुमावत नि. रामगढ दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार रूपेन्द्रकुमर पुत्र बसंतकुमार का दूसरा नाम राकेश कुमार पि. बसंत कुमार कुमावत हे यह दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पासपोर्ट, पेनकार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम राकेश वर्मा है केवल राजस्व अभिलेख ग्राम पुन्याणा प.मं. धोलासरी की जमाबंदी संवत् 2068–71 में ख.नं. 77/765 रकबा 0.03 है० में वादी का नाम रूपेन्द्र कुमार पुत्र बसंत कुमार कुमावत दर्ज है। इस नाम का अन्य कोई पुत्र बसंत कुमार कुमावत के नहीं है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के साबित है। अतः वादी वादी डिकी किया जाता है तथा

उप... ...कारी
दांतारामगढ

भूमि ख.नं. 77/765 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम पुन्याणा प.मं. धोलासरी के खातेदार के रूप में वादी रूपेन्द्र कुमार उर्फ राकेश के नाम की उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

दांतारामगढ